# मध्यप्रदेश शासन
## सामान्य प्रशासन विभाग
### मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक सी-6-2/2006/3-एक

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

**विषय.**—शासकीय सेवकों के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक/न्यायालयीन कार्यवाहियों के दौरान उनकी पदोन्नति प्रक्रिया बाबत् मार्गदर्शी सिद्धान्त.

**संदर्भ.**—इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ. सी.-6-2/94/3/एक, दिनांक 30-6-1994.

शासकीय सेवकों के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक/न्यायालयीन कार्यवाहियों के दौरान उनकी पदोन्नति की प्रक्रिया के विषय में भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने परिपत्र OM No. 22011/4/91/Estt.(a), दिनांक 14-9-1992 को निर्देश प्रसारित किये थे. इसके परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन ने इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 30 जून, 1994 द्वारा विस्तृत मार्गदर्शी निर्देश प्रसारित किये थे, जिसके पैराग्राफ ''7'' में निम्नानुसार प्रावधान है :—

**''कोई शासकीय सेवक, जिसकी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति की सिफारिश तो की जाती है, परन्तु जिसके मामले में पैरा 2(1) में उल्लेखित कोई हालात विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद, परन्तु वास्तविक रूप में उसकी पदोन्नति होने से पहले सामने आते हैं, तो उसके मामले में यह मानकर कार्यवाही की जायेगी कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उससे संबंधित अनुशंसा मुहरबंद लिफाफे में रखी गयी है, अर्थात् ऐसे प्रकरण में पदोन्नति नहीं की जायेगी और मुहरबंद लिफाफे की प्रक्रिया उसमें लागू हो गयी मानी जायेगी. ऐसे शासकीय सेवक को तब तक पदोन्नत नहीं किया जायेगा, जब तक उसे उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों से पूरी तरह दोषमुक्त न कर दिया जाये. यदि अपचारी अधिकारी दोषमुक्त नहीं होता है, तो विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर अमल नहीं किया जायेगा.''**

2. मा. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत—बैंक ऑफ इंडिया विरुद्ध डेगला सूर्य नारायण (AIR 1999-SC-2407) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य विरुद्ध सुधा सलहन (1998-SCC-897) तथा देहली जलबोर्ड विरुद्ध महेन्द्र सिंह [2000-SCC-897] में पारित आदेश तथा इस विषय में भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी परिपत्र OM No. 22011/2/2002/Estt.(a), दिनांक 24-2-2003 के परिप्रेक्ष्य में, राज्य शासन, इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 30-6-1994 के क्रम में निम्नानुसार पूरक निर्देश जारी करता है :—

**इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 30-6-1994 की कण्डिका-7 ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी, जिसमें प्रथम जांच में दोषमुक्त पाये जाने के कारण संबंधित शासकीय सेवक के विषय में विभागीय पदोन्नति समिति का बन्द लिफाफा खोलते समय विभाग द्वारा कोई अन्य विभागीय जांच संस्थित कर दी गयी थी. अर्थात् जहां उस विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें संबंधित शासकीय सेवक के संबंध में अनुशंसा बन्द लिफाफे में रखी गयी थी, की अनुशंसा के आधार पर उससे कनिष्ठ की पदोन्नति हो जाने के बाद संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध दूसरी अर्थात् पश्चात्वर्ती विभागीय कार्यवाहियां संस्थित की गयीं थीं, तो ऐसे मामलों में संबंधित शासकीय सेवक को प्रथम जांच में दोषमुक्त पाये जाने पर प्रथम विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा की स्थिति में कनिष्ठ की पदोन्नति के दिनांक से पदोन्नति का लाभ प्राप्त होगा.**

**यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पश्चात्वर्ती कार्यवाहियों ( जो संबंधित शासकीय सेवक के कनिष्ठ की पदोन्नति के बाद संस्थित हुई ) में यदि संबंधित शासकीय सेवक पर कोई शास्ति अधिरोपित कर दी गयी हो, तो ऐसे मामलों में शासकीय सेवक पर अधिरोपित शास्ति को पदोन्नत पद के संदर्भ में संशोधित ( modified ) किया जा सकेगा एवं इसका उल्लेख संबंधित शासकीय सेवक के पदोन्नति आदेश में भी किया जायेगा ताकि मामले में कोई अस्पष्टता नहीं रहे.**

**हस्ता./-**
**( डी. एस. राय )**
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक सी-6-2/2006/3-एक

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2007

**प्रतिलिपि :—**

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर.
2. सचिव, लोकायुक्त, म. प्र. भोपाल.
3. सचिव, म. प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म. प्र., भोपाल.
5. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल.
6. प्रमुख सचिव, म. प्र. विधानसभा, सचिवालय, भोपाल.
7. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म. प्र. भोपाल.
8. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म. प्र. भोपाल.
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र.भोपाल.
10. सचिव, म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म. प्र. भोपाल.
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म. प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर.
13. महालेखाकार, म. प्र., ग्वालियर/भोपाल.
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सा. प्र. वि., मंत्रालय, भोपाल.
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र., मंत्रालय, भोपाल.
16. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, भोपाल.
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म. प्र. भोपाल.
18. अध्यक्ष, म. प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

**हस्ता./-**
**( अकीला हशमत )**
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.